



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235398
CG-DL-E-27042022-235398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1857]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944

No. 1857]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

का.आ. 1950(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 01 फरवरी, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 413(अ), तारीख 31 जनवरी, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, हिन्दुस्तान और प्रभात खबर, तारीख 10 फरवरी, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: गया

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना का नाम/नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	प्रभावित रकवा		भूमि की प्रकृति	किस्म	भूमि के मालिक/हितबद्ध रैयतों का नाम
					हेक्टेयर में	एकड़ में			
1	तारो	बाराचट्टी-632	45	1199	0.0109	0.027	रैयती	भीठ-2	तारो यादव पिता स्व० नारायण यादव।
2			25	1198	0.0032	0.008	रैयती	भीठ-2	रजीया वो शारदा वो ननकुनी देवी पिता स्व० जवाहीर यादव।
3			25	1197	0.0040	0.010	रैयती	भीठ-2	शोभी यादव वो प्रसादी यादव पिता स्व० जेठु यादव।
4			45	1177	0.0030	0.007	रैयती	धनहर-2	मसो० मालती देवी पति स्व० वासो यादव।
5			45	1176	0.0036	0.009	रैयती	धनहर-2	चन्द्र वो श्री वो लखन यादव पिता स्व० जीवलाल यादव।
6			42	1154	0.0105	0.026	रैयती	धनहर-2	नन्दु महतो पिता स्व० दाहु महतो वगै०।
7			25	1186	0.0020	0.005	रैयती	धनहर-2	रजीया वो शारदा वो ननकुनी देवी पिता स्व० जवाहीर यादव।
8			45	1288	0.0008	0.002	रैयती	धनहर-2	चन्दर वो श्री वो लखन यादव पिता स्व० जीवलाल यादव।
9			42	1203	0.0008	0.002	रैयती	भीठ-2	नन्दु महतो पिता स्व० दाहु महतो वगै०।
10			25	1181	0.0012	0.003	रैयती	धनहर-2	शोभी यादव वो प्रसादी यादव पिता स्व० जेठु यादव।
11			25	1179	0.0024	0.006	रैयती	धनहर-2	शोभी यादव वो प्रसादी यादव पिता स्व० जेठु यादव।
12	रेगैनी	बाराचट्टी - 661	22	271	0.0061	0.0150	रैयती	भीठ-2	दुलारी देवी पति दसरथ यादव।
13			22	267	0.0040	0.010	रैयती	भीठ-2	दुलारी देवी पति दसरथ यादव।
14			22	268	0.0020	0.0050	रैयती	भीठ-2	दुखन यादव पिता स्व० विशुन यादव एवं वगै०।
15			22	266	0.0061	0.0150	रैयती	भीठ-2	दुखन यादव पिता स्व०

								विशुन यादव एवं वगै०।
16			30	728	0.0012	0.0030	रैयती	धनहर-2 बुधु दुसाध पिता स्व० सोनु दुसाध।
17			22	743	0.0101	0.0250	रैयती	दुखन यादव पिता स्व० विशुन यादव एवं वगै०।

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2305]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2022

S.O. 1950(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 413(E), dated the 31st January, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st February, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gaya in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan and Prabhat Khabar, dated the 10th February, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Gaya in the State of Bihar.

DISTRICT: Gaya

Sl. No.	Name of Mouza	Thana Name - No.	Khata Number	Plot/ Survey No.	Affected Area		Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner / Interested Persons
					Area (in Ha)	Area (in Acre)			
1	Taro	Barachatti-632	45	1199	0.0109	0.027	Private	Bhit 2	Taro Yadav S/o Late Narayan Yadav.
2			25	1198	0.0032	0.008	Private	Bhit 2	Raziya and Sharada and Nankuni Devi S/o Late Jawahir Yadav.

3			25	1197	0.0040	0.010	Private	Bhit 2	Shobhi Yadav and Prasadi Yadav S/o Late Jethu Yadav.
4			45	1177	0.0030	0.007	Private	Dhanhar 2	Malti Devi W/o Late Baso Yadav.
5			45	1176	0.0036	0.009	Private	Dhanhar 2	Chandra and Shree and Lakhani Yadav S/o Late Jivlal Yadav.
6			42	1154	0.0105	0.026	Private	Dhanhar 2	Nandu Mahto S/o Late Dahu Mahto others.
7			25	1186	0.0020	0.005	Private	Dhanhar 2	Raziya and Sharada and Nankuni Devi S/o Late Jawahir Yadav.
8			45	1288	0.0008	0.002	Private	Dhanhar 2	Chandra and Shree and Lakhani Yadav S/o Late Jivlal Yadav.
9			42	1203	0.0008	0.002	Private	Bhit 2	Nandu Mahto S/o Late Dahu Mahto others.
10			25	1181	0.0012	0.003	Private	Dhanhar 2	Shobhi Yadav and Prasadi Yadav S/o Late Jethu Yadav.
11			25	1179	0.0024	0.006	Private	Dhanhar 2	Shobhi Yadav and Prasadi Yadav S/o Late Jethu Yadav.
12	Rengaini	Barachatti-661	22	271	0.0061	0.0150	Private	Bhit 2	Dulari Devi W/o Dashrath Yadav.
13			22	267	0.0040	0.010	Private	Bhit 2	Dulari Devi W/o Dashrath Yadav.
14			22	268	0.0020	0.0050	Private	Bhit 2	Dukhan Yadav S/o Late Vishun Yadav and others.
15			22	266	0.0061	0.0150	Private	Bhit 2	Dukhan Yadav S/o Late Vishun Yadav and others.
16			30	728	0.0012	0.0030	Private	Dhanhar 2	Budhu Dusad S/o Late SonuDusad.
17			22	743	0.0101	0.0250	Private	Dhanhar 2	Dukhan Yadav S/o Late Vishun Yadav and others.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2305]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)